फर्द अहकाम

सरकार बनाम भीमसिंह

न्यायालय का नाम–उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं0 /2024

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23.08.2024	पत्रावली पेश हुई। सरकार पैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दिवानी इस आशय पेश किया गया है कि प्रार्थी/प्रतिवादी को माननीय न्यायालय द्वारा 02.11.2024 को न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश को यथावत रखते हुए रूपान्तरण की अनुमति दी गई थी। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा नगरपालिका जोबनेर मे आवासीय रूपान्तरण हेतु 90–क के अधीन आवेदन किया है। तथा आराजी खसरा नं0 762 वाके ग्राम बबेरवालों की ढाणी तह0 जोबनेर के संबंध में पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को खारीज किये जाने हेतु निवेदन किया है। बहस अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों का उल्लेख करते हुए निवेदन किया कि नगरपालिका जोबनेर के आदेश क्रमांक 701 दिनांक 06.08.2024 द्वारा आराजी खसरा नंबर 762 रकबा 0.4426 हे0 मे से 4150.88 वर्गमीटर आवासीय एवं 275.12 वर्गमीटर सडक मार्गाधिकार हेतु समर्पित के आदेश जारी कर दिये गये है। जिसकी प्रति प्रार्थना पत्र के संलग्न है। इस प्रकार प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपनी भूमि का सम्परिवर्तन करा लिया गया है। अतः निवेदन है कि न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.06.2023 को खारीज फरमाया जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। नगरपालिका जोबनेर के आदेश क्रमांक 107 दिनांक 06.08.2024 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपनी भूमि आराजी खसरा नं0 762 रकबा 0.4426 वाके ग्राम बबेरवालों की ढाणी तह0 जोबनेर का सम्परिवर्तन करा लिया गया है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपनी भूमि का सम्परिवर्तन करा लेने के पश्चात प्रार्थी/प्रतिवादी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद	

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151जा0दी0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.06.2023 खारिज किया जाता है। भविष्य में उक्त कृषि भूमि के गैर कृषि कार्य में उपयोग के कारण किसी प्रकार की शास्ति जारी होती है, तो अप्रार्थी भीमसिंह पुत्र जेतसिंह उक्त राशि जमा कराने हेतु पाबंद होगे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर